

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. एफ- IPI-5-0018-2025-A-ग्यारह.- प्रदेश में वृहद श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 को "उद्योग संवर्धन नीति 2025" जारी की गई.

2. विभागीय आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 द्वारा जारी की गई उक्त नीति में परिशिष्ट-V के पश्चात् परिशिष्ट-VI जोड़ा जाकर मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2022) को संलग्न परिशिष्ट-VI अनुसार संशोधित किया जाता है. यह संशोधन दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील होंगे. शेष नियम यथावत् रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL PROMOTION POLICY, 2025

ANNEXURE VI - CHANGES IN THE MP STATE INDUSTRIAL LAND AND BUILDING MANAGEMENT RULES 2019 (AS AMENDED IN 2022)

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2022)</p>	<p>मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2025)</p>
<p>मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 (यथा संशोधित 2022)" एतद द्वारा जारी करता है:-</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 (यथा संशोधित 2025)" एतद द्वारा जारी करता है:-</p>
<p>(2) परिभाषाएं - (6) क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी-से अभिप्रेत है एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जिनके वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर तथा सीवा में कार्यालय स्थापित हैं तथा अन्य ऐसे कार्यालय जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी अथवा अन्य नाम से गठित किये जायें।</p>	<p>(2) परिभाषाएं - (6) क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी- सेअभिप्रेत है एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जिनके वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सीवा, उज्जैन, चम्बल, नर्मदापुरम, शहडोल तथा सागर में कार्यालय स्थापित हैं तथा अन्य ऐसे कार्यालय जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी अथवा अन्य नाम से गठित किये जायें।</p>
<p>(9) औद्योगिक क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वामित्व/ आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये/ जाने वाले किसी क्षेत्र से है, चाहे उसे किसी भी नाम यथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक संस्थान, फूडपार्क, रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स, स्टोनपार्क, जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, टैक्सटाईल पार्क, आईटी पार्क, डायमण्ड पार्क, प्लास्टिक पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, निर्यातपार्क, विभिन्न सेक्टर विशिष्ट के औद्योगिक पार्क से राज्य शासन द्वारा नामित किया जावे।</p>	<p>(9) औद्योगिक क्षेत्र - औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वामित्व / आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये/ जाने वाले किसी क्षेत्र से है, चाहे उसे किसी भी नाम यथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक संस्थान, फूडपार्क, रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स, स्टोनपार्क, जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, टैक्सटाईल पार्क, आईटी पार्क, डायमण्ड पार्क, प्लास्टिक पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, निर्यातपार्क, विभिन्न सेक्टर विशिष्ट के औद्योगिक पार्क से राज्य शासन द्वारा नामित किया जावे तथा ऐसी अविकसित भूमि जहां पर एक से अधिक औद्योगिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटित की गई है।</p>

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>(10) 10.6 औद्योगिक अविकसित भूमि - औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि।</p> <p>(18) निर्मित क्षेत्र - से अभिप्रेत फैक्ट्री भवन, गोदाम, कार्यालय भवन, टैंक, साइलोस, (कंटेनर), सिक्यूरिटी ऑफिस, पावरसब-स्टेशन, पम्पहाउस एवं पानी की टंकी, विद्युत जनरेटर सेट/बायलररूम, अनुमत आवासीय क्षेत्र जैसे निर्माण से है। बाउण्ड्रीवाल, सड़क, नाली, आदि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे।</p> <p>(23) विकास शुल्क - से अभिप्रेत औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास की राशि से है जो आवंटी इकाई से आवंटन के समय एकमुश्त प्राप्त की जावेगी।</p>	<p>(10) 10.6 औद्योगिक अविकसित भूमि - औद्योगिक लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि।</p> <p>10.9 औद्योगिक विकासाधीन भूमि - औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन निगम के आधिपत्य की अविकसित भूमि जिस पर अधोसंरचना विकास कार्य प्रचलन में है।</p> <p>(18) निर्मित क्षेत्र - से अभिप्रेत फैक्ट्री भवन, गोदाम, कार्यालय भवन, टैंक, साइलोस, (कंटेनर), सिक्यूरिटी ऑफिस, पावरसब-स्टेशन, पम्पहाउस एवं पानी की टंकी, शोडेड पार्किंग, विद्युत जनरेटर सेट/बायलर रूम, अनुमत आवासीय क्षेत्र जैसे निर्माण से है। बाउण्ड्रीवाल, सड़क, नाली, आदि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे।</p> <p>(23) विकास शुल्क - से अभिप्रेत औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास की राशि से है जो आवंटी इकाई से आवंटन के समय एकमुश्त प्राप्त की जावेगी तथा ऐसी राशि जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक इकाइयों को अविकसित भूमि आवंटित की गई है पर अधोसंरचना का विकास निगम द्वारा आवंटन के पश्चात किया जाता है।</p> <p>(24) भूमि आवंटन समिति - भूमि आवंटन समिति से तात्पर्य है कि शासन द्वारा समय-समय पर गठित समिति जो कि भूमि आवंटन हेतु निर्णय लेने में सक्षम होगी।</p>
<p>(4) औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता -</p> <p>(1) निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड</p>	<p>(4) औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता -</p> <p>(1) निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड</p>

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>का आवंटन किया जा सकेगा :-</p> <p>(i) वृहद उद्योग इकाई ।</p> <p>(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई।</p> <p>(iii) व्यवसायिक, आवासीय, वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन।</p> <p>(3) आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा। अभिन्यास में औद्योगिक, अनुषांगिक, व्यवसायिक, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क एवं वेयरहाउसिंग गतिविधि तथा रहवासी क्षेत्रों को पृथक - पृथक दर्शाया जावेगा।</p> <p>(4) औद्योगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक पार्क/परियोजनाओं तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों को ही आवंटित की जा सकेगी ।</p>	<p>का आवंटन किया जा सकेगा :-</p> <p>(i) वृहद उद्योग इकाई ।</p> <p>(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई।</p> <p>(iii). व्यवसायिक, आवासीय, लाजिस्टिक एवं वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन।</p> <p>(3) आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा। अभिन्यास में औद्योगिक, अनुषांगिक, व्यवसायिक, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क एवं वेयरहाउसिंग गतिविधि तथा रहवासी क्षेत्रों विक्रय योग्य एमिनिटिज एवं गैर विक्रय योग्य एमिनिटिज को पृथक-पृथक दर्शाया जावेगा।</p> <p>(4) औद्योगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक पार्क/परियोजनाओं तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों तथा वृहद लॉजिस्टिक हब एवं वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए ही आवंटित की जा सकेगी।</p>
<p>भाग - 1 औद्योगिक भूमि एवं भवन का आवंटन</p> <p>(8) औद्योगिक भूमि/भवन आवंटन के अधिकार :-</p> <p>(ब) औद्योगिक प्रयोजन हेतु 20 हेक्टेयर तक अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा किया जावेगा, 20 हेक्टेयर से अधिक अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा किया जावेगा।</p>	<p>भाग - 1 औद्योगिक भूमि एवं भवन का आवंटन</p> <p>(8) औद्योगिक भूमि/भवन आवंटन के अधिकार :-</p> <p>(ब) विलोपित</p>

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>(10) प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत -</p> <p>(अ) अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट -</p> <p>(स) वेयरहाउसिंग प्रयोजन एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयों को आवंटित भूमि की प्रब्याजी, भूमि के मूल्य के बराबर होगी।</p>	<p>(10) प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत -</p> <p>(अ) अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट -</p> <p>(iv) लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाऊसिंग गतिविधि हेतु आवंटित अविकसित भूमि की प्रब्याजी भूमि के मूल्य के बराबर होगी।</p> <p>(स) लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रयोजन हेतु भूमि प्रब्याजी की गणना प्रचलित लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग नीति अनुसार की जाएगी एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयों को आवंटित भूमि की प्रब्याजी, भूमि के मूल्य के बराबर होगी।</p>
<p>(12) आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया :-</p> <p>(i) अविकसित भूमि - सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि अधिकतम 30 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा।</p> <p>यदि इकाई द्वारा उक्त अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो इकाई के पक्ष में जारी भूमि आवंटन स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी। आशय पत्र जारी होने के बाद नियमानुसार भूमि आवंटन आदेश जारी कर लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआयडीसी द्वारा की जायेगी।</p> <p>(स) विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन हेतु</p>	<p>(12) आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया :-</p> <p>यदि आवेदित अविकसित भूमि शहरी क्षेत्र अंतर्गत आता है तो इसका आवंटन प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।</p> <p>यदि आवेदित अविकसित भूमि शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित हो तो इसका आवंटन प्रस्तावित निवेश, रोजगार एवं परियोजना का आकलन कर एमपीआईडीसी द्वारा किया जाएगा।</p> <p>(i) अविकसित भूमि - सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि रूपये 05 करोड़ से कम होने पर अधिकतम 30 दिवस तथा राशि रूपये 05 करोड़ से अधिक होने पर अधिकतम 45 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा।</p> <p>(स) विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन हेतु एमपीआयडीसी के</p>

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>एमपीआयडीसी के पोर्टल पर ई-बिडिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> ई-बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, हेतु प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक माह के 16वे दिवस (सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा। किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त होने पर ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी। ई-बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे। ई-बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा। भूखण्ड हेतु बेस-प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा। न्यूनतम बिड राशि बेसप्राईज के अतिरिक्त ₹1,00,000/- होगी, तदोपरांत ₹25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी। ई-बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। उच्चतम बिड करने वाले सफल आवेदक को 	<p>पोर्टल पर प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> एमपीआईडीसी द्वारा नवीन विकसित या विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रथम बार ई-बिडिंग के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। प्रथम ई-बिडिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध शेष भूखण्ड प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर वृहद् एवं मेगा परियोजना हेतु उपलब्ध होगी एवं एमएसएमई इकाईयों हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्ड के आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उद्योग संवर्धन नीति-2025 में घोषित मेगा प्रोजेक्ट्स को ई-बिडिंग प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए प्रस्तावित निवेश, रोजगार एवं उत्पाद के आधार पर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा भूमि आवंटित की जा सकेगी। ई-बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, निविदा जारी दिनांक से 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त किये जायेंगे एवं उक्त हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाएगा। निविदा जारी दिनांक से 16वे दिवस (सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा। किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेसन ऑफ इंटेस्ट प्राप्त होने पर ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी। ई-बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। भू-भाटक की गणना बेस-प्राईज की प्रब्याजी पर की जायेगी। असफल आवेदकों (बिडर) द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी।</p> <p>ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का सक्षम प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदक के भू-खण्ड की आवश्यकता एवं क्षेत्रफल का आंकलन कर भूखण्ड का आवंटन करेगा। ई-बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी भूखण्ड को शामिल करने अथवा न करने तथा बिडिंग पश्चात हुए आवंटन को निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी को होंगे। ई-बिडिंग हेतु नीतिगत प्रक्रिया का निर्धारण संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे।</p> <p>6. ई-बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा। भूखण्ड हेतु बेस-प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा। 01 हेक्टेयर या उससे कम भूमि हेतु न्यूनतम बिड राशि बेस-प्राईस के अतिरिक्त ₹25,000/- होगी तथा 01 हेक्टेयर से अधिक भूमि हेतु न्यूनतम बिड बेस-प्राईस के अतिरिक्त ₹1,00,000/- होगी तदोपरांत ₹25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी। ई-बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा।</p> <p>7. ई-बिडिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर भूमि आवंटन हेतु ली जाने वाली बेस प्राईज के उपर बिड की गई राशि अधिकतम 15 दिवस में जमा कराई जा सकेगी जिसके उपरांत आशय पत्र जारी किया जाएगा।</p> <p>8. ई-बिडिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर यदि किसी भूखण्ड/भूमि का मूल्य राशि रू.20 करोड़ या उससे अधिक होने पर आवेदक को राशि के भुगतान हेतु आशय पत्र जारी दिनांक से 04 समान त्रैमासिक किश्तों (अधिकतम 01 वर्ष) में भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्ण भुगतान के उपरांत भूमि आवंटन एवं अन्य पश्चावर्ती कार्यवाही की जाएगी।</p> <p>9. एमपीआईडीसी की विशेष परियोजनाओं मोहासा-बाबई विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र निर्माण पार्क, पीथमपुर सेक्टर-7, मेडिकल डिवाईस पार्क उज्जैन, पीएम मित्रा पार्क इन्दौर एवं अन्य समान परियोजनाओं का भूमि आवंटन प्रचलित प्रक्रिया अनुसार ही किया जाएगा।</p>

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>(13) भू-खण्ड/भवन का आशय पत्र आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्य :-</p> <p>(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन : आवंटन आदेश की शर्त अनुसार 10 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी। यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 10 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक एमपीआयडीसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिकतम 60 दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी। यदि उक्त समयावधि में पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा। लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा।</p> <p>(v) आधिपत्य: पट्टादाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 03 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी। इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।</p> <p>(vii) उपरोक्त के अतिरिक्त "परिशिष्ट-सी" में श्रेणीकृत औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भुगतान योग्य राशि में छूट एवं किशतों में भुगतान के विकल्प उपलब्ध है। परिशिष्ट-सी के विकल्पों का चयन करने पर विकल्प अनुसार समयावधि एवं प्रावधान लागू होंगे।</p>	<p>(13) भू-खण्ड/भवन का आशय पत्र आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्य :-</p> <p>(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन : आवंटन आदेश की शर्त अनुसार 30 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी। यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 30 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी द्वारा अधिकतम 90 दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी। यदि उक्त समयावधि में पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा। लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा।</p> <p>(v) आधिपत्य: पट्टादाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 10 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी। इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। यदि इकाई द्वारा निर्धारित समयावधि में आधिपत्य हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो पट्टाविलेख निष्पादन दिनांक से इकाई के पक्ष में डीम्ड पजेशन माना जाएगा।</p> <p>(vii) विलोपित</p>

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
(14) पट्टे की अवधि - पट्टे की अवधि समस्त आवंटन के लिए, अधिकतम 99 वर्ष होगी।	(14) पट्टे की अवधि - पट्टे की अवधि भूमि आवंटन के लिए, अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी।
(16) परियोजना का क्रियान्वयन :-	(16) परियोजना का क्रियान्वयन :- (vii) परिशिष्ट- ए एवं परिशिष्ट- बी में वर्णित औद्योगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों द्वारा यदि उत्पाद परिवर्तन किया जाता है तो लीज डीड में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी एवं उक्त इकाइयों द्वारा संबंधित एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना अनिवार्य होगा।
(17) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन:- (i) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषित लोक वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित वित्त निगम एवं लायसेंस प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान के पक्ष में पट्टाग्रहीता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी, किन्तु इस संबंध में एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देना आवश्यक होगा। इन अभिहस्तांकन में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित भवन/शेड शामिल नहीं होंगे। प्रत्येक स्थिति में भूमि, भवन/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा।	(17) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन:- (i) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषित लोक वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित वित्त निगम एवं लायसेंस प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान डिबेन्चर्स ट्रस्टी, कन्सोर्शियम लीड बैंकर के पक्ष में पट्टाग्रहीता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी, किन्तु इस संबंध में एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देना आवश्यक होगा। इन अभिहस्तांकन में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित भवन/शेड शामिल नहीं होंगे। प्रत्येक स्थिति में भूमि, भवन/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा।
(18) अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण:- (i) किसी औद्योगिक इकाई को स्वीकृत पट्टाधीन भू-खण्ड से लगी हुई विभाग की ऐसी कोई भूमि, (यदि उपलब्ध है), जो उसे आवंटित भू-खण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक न	(18) अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण:- (i) किसी औद्योगिक इकाई को स्वीकृत पट्टाधीन भू-खण्ड से लगी हुई विभाग की ऐसी कोई भूमि, (यदि उपलब्ध है), जो उसे आवंटित भू-खण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक न हो एवं जिसमें कोई

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
<p>हो एवं जिसमें कोई पृथक पहुंच मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग का न हो तो संबंधित भूमि को प्रचलित नियमों में वर्णित दर पर प्रब्याजी लेकर इकाई को आवंटित कर पट्टाभिलेख निष्पादित किया जा सकेगा। यदि पट्टेदार इकाई द्वारा ऐसी भूमि बिना आवंटन के अपने कब्जे में रखी गई तो उसका नियमितीकरण आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के मान से राशि जमा कराकर किया जा सकेगा तथा जितनी अवधि में भूमि इकाई के आधिपत्य में पायी जाती है, उस अवधि का भू-भाटक तत्समय लागू भू-भाटक की दर से एवं 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से इकाई को भुगतान करना होगा।</p>	<p>पृथक पहुंच मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग का न हो तो संबंधित भूमि को प्रचलित नियमों में वर्णित दर पर प्रब्याजी लेकर इकाई को आवंटित कर पट्टाभिलेख निष्पादित किया जा सकेगा। यदि पट्टेदार इकाई द्वारा ऐसी भूमि बिना आवंटन के अपने कब्जे में रखी गई तो उसका नियमितीकरण आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के मान से राशि जमा कराकर किया जा सकेगा तथा जितनी अवधि में भूमि इकाई के आधिपत्य में पायी जाती है, उस अवधि का भू-भाटक तत्समय लागू भू-भाटक की दर से एवं 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से इकाई को भुगतान करना होगा। इस अवधि का स्पष्ट पता न चल पाने की दशा में मूल पट्टाभिलेख की दिनांक को ही आधिपत्य की दिनांक मान लिया जायेगा।</p>
<p>(19) हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया :-</p> <p>(अ) लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क :-</p> <p>2. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ/ कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number (CIN) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा। परन्तु निम्न परिस्थितियों में कंपनी का पंजीयन क्रमांक परिवर्तित होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी -</p> <p>(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/शर्तों के अधीन होगी :-</p> <p>(ii) अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन</p>	<p>(19) हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया :-</p> <p>(अ) लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क :-</p> <p>2. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ/ कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number (CIN) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा। परन्तु निम्न परिस्थितियों में कंपनी का CIN परिवर्तित होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी -</p> <p>(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/शर्तों के अधीन होगी :-</p> <p>(ii) अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन समस्त प्रकार</p>

प्रचलित नियम		प्रस्तावित संशोधन नियम
समस्त प्रकार की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-		की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में प्रब्याजी का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 15 प्रतिशत नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा।
1	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत या अधिक स्थायी निवेश किया गया हो।	प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।
2	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत से कम किन्तु 50 प्रतिशत तक स्थायी निवेश के हस्तांतरण के प्रकरण में।	प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।
3	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 50 प्रतिशत से कम किन्तु न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी निवेश अथवा न्यूनतम रू. 50 करोड़ स्थायी निवेश (जो भी कम हो) किया जाकर हस्तांतरण के प्रकरण में।	प्रचलित प्रब्याजि का 50 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।
(30) पटटे की अवधि - पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष होगी।		(30) पटटे की अवधि - पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी।

तालिका विलोपित

(iv) पूर्व इकाई द्वारा जमा सुरक्षा निधि को हस्तांतरण के समय नवीन इकाई से ली जाने वाली सुरक्षा निधि में समायोजित किया जावेगा।

प्रचलित नियम	प्रस्तावित संशोधन नियम
(38) पटटे की अवधि :- पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष होगी।	(38) पटटे की अवधि :- पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी।
<p>(44) पट्टाविलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना :-</p> <p>(iii) लीजडीड निरस्त होने के पश्चात् भूमि का आधिपत्य वापिस एमपीआयडीसी को प्राप्त होने पर आवंटी अधिकारी द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु निरस्तीकरण डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करानी होगी। इस प्रक्रिया उपरांत ही उक्त भूखण्ड नवीन रूप से आवंटन योग्य होगा।</p>	<p>(44) पट्टाविलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना :-</p> <p>(iii) लीजडीड निरस्त होने के पश्चात् भूमि का आधिपत्य वापिस एमपीआयडीसी को प्राप्त होने पर आवंटी अधिकारी द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु निरस्तीकरण डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करानी होगी। इस प्रक्रिया उपरांत ही उक्त भूखण्ड नवीन रूप से आवंटन योग्य होगा। उक्त कार्यवाही हेतु आवंटी अधिकारी द्वारा 30 दिवसीय सूचना-पत्र जारी किया जाएगा। सूचना-पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के अंदर यदि इकाई की ओर से कोई भी प्रतिनिधि निरस्तीकरण डीड निष्पादन हेतु संबंधित कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो इस स्थिति में आवंटी अधिकारी एकतरफा निरस्तीकरण डीड निष्पादित एवं पंजीकृत कर सकेंगे।</p>

भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया

निगम पोर्टल पर भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन

07 दिवस में मुख्यालय द्वारा आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर प्रेषित

क्षेत्रीय कार्यालय 15 दिवस में गुण-दोष के आधार पर हस्तांतरण हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी

हस्तांतरण अनुमति एवं आवश्यक राशि के 60 दिवस में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा।

मांग पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात 30 दिवस में भूमि हस्तांतरण हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा

लीज निरस्तीकरण की स्थिति में उक्त प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया

पात्र इकाईयों को मुख्यालय द्वारा लीजडीड बहाल कर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी

अपात्र इकाईयों का आवेदन मुख्यालय द्वारा निरस्त किया जावेगा

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हस्तांतरण अनुमति एवं आवश्यक राशि के 60 दिवस में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा।

मांग पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात 30 दिवस में भूमि हस्तांतरण हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा

**मेगा/वृहद् परियोजना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया
(प्रथम आओ प्रथम पाओ हेतु)**

निगम पोर्टल पर विकसित/अविकसित भूमि आवंटन हेतु आवेदन

07 दिवस में मुख्यालय स्तर पर गठित आवंटन कमेटी द्वारा आवेदनों का परीक्षण (प्रस्तावित, निवेश, रोजगार एवं उत्पाद आदि के आधार पर)

चयनित आवेदकों/इकाई को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकतम 30 दिवस में आमंत्रित किया जाएगा
(यदि आवेदित अविकसित भूमि प्लान एरिया/शहरी क्षेत्र अंतर्गत है तो प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष)
(यदि आवेदित अविकसित भूमि प्लान एरिया/शहरी क्षेत्र सीमा के बाहर है तो एमपीआईडीसी के समक्ष)

प्रस्तुतीकरण के 03 दिवस में पात्र इकाईयों को भूमि आवंटन हेतु प्रिमीयम की 25 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाएगा

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 03 दिवस में मांगपत्र जारी किया जाएगा

मांगपत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 07 दिवस में आशय पत्र जारी किया जाएगा

आशय पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 15 दिवस में आवंटन पत्र जारी किया जाएगा

आवंटन पत्र जारी किये जाने के पश्चात 30 दिवस में भूमि आवंटन हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा

लीजडीड पंजीयन के 10 दिवस में इकाई को भूमि का आधिपत्य प्रदान किया जाएगा